

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कुशीनगर।

पत्रांक 84 / सा0प्र0 / स0सु0 / 2020

दिनांक 16/07/2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उप धारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उर्पयुक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, नियमावली, 1998 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1988 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुशीनगर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक) जहां गति निबंधित रहेगी।	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर श्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 08 से 12 सीटों वाले यान	समस्त मालयान एवं स्टॉम 4.5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ-मोकामा (राष्ट्रीय राज्य मार्ग) NH28	हेतिमपुर टोलप्लाजा से तमकुहीराज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
2	कसया-पडरौना (राष्ट्रीय राज्य मार्ग) NH28B	कसया-पडरौना	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3	कप्तानगंज - नौरंगिया (अन्य जिला मार्ग)	कप्तानगंज - नौरंगिया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
4	मथौली-पडरौना (अन्य जिला मार्ग)	मथौली-रामकोला-पडरौना	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5	रामकोला -नौरंगिया (अन्य जिला मार्ग)	रामकोला-सिंगहा-नौरंगिया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
6	खड्डा - समउर (अन्य जिला मार्ग)	खड्डा -पडरौना- समउर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7	खड्डा -पनियहवा (अन्य जिला मार्ग)	खड्डा - पनियहवा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8	खड्डा - सिसवा (अन्य जिला मार्ग)	खड्डा - सिसवा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

9	खड़ुआ-कप्तानगंज (अन्य जिला मार्ग)	खड़ुआ-सिसवा-कप्तानगंज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
10	कप्तानगंज-सिसवा (अन्य जिला मार्ग)	कप्तानगंज-सिसवा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11	कप्तानगंज-परतावल (अन्य जिला मार्ग)	कप्तानगंज - परतावल	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
12	रामकोला-कसया (अन्य जिला मार्ग)	रामकोला -कसया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
13	पडरौना-जटहा (अन्य जिला मार्ग)	पडरौना-जटहा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
14	पडरौना-बांसी (अन्य जिला मार्ग)	पडरौना-बांसी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
15	पडरौना -तमकुही (अन्य जिला मार्ग)	पडरौना -तमकुही	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
16	कसया-सिसवा नाहर (अन्य जिला मार्ग)	कसया-बनरहा-सिसवा नाहर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
17	कसया-पिपराघाट (अन्य जिला मार्ग)	कसया-तमकुही-पिपराघाट	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
18	तमकुही-कटेया (अन्य जिला मार्ग)	तमकुही-समउर-कटेया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
19	तमकुही-सलेमगढ़ (अन्य जिला मार्ग)	तमकुही-सलेमगढ़	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
20	हाटा-पडरौना (अन्य जिला मार्ग)	हाटा-कप्तानगंज-पडरौना	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा-

1- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके, इसके लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।


 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
 (प्रशासन) कुशीनगर।